राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8409/2011

बाबू लाल शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम उड़सर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-IV), आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर।

4. श्री भंवर लाल दुग्गर, आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, जिला चूरू अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री मनोज पारीक

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मेहरदीन मेहर

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>05/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक बार फिर इस न्यायालय के समक्ष है। अपनी शिकायत के निवारण के लिए उसे कई बार प्रयास करने पड़ रहे हैं। वह अन्य बातों के साथ-साथ उचित रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करने की मांग कर रहा है, जिसमें प्रतिवादियों को आदेश दिया जाए कि वे उसे 12.01.2000 से 13.12.2005 तक की अवधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान नियम), 1998 (जिसे आगे '1998 के नियम' कहा जाएगा) का लाभ प्रदान करें।

2. रिट याचिका वर्ष 2011 में दायर की गई थी, और पहली नज़र में, यह विलंबित लग सकती है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से तत्काल दौर से पहले के मुकदमे पर विचार करने पर, स्थिति बदल जाती है - देरी वास्तव में प्रतिवादियों के कारण हुई है। इसके बारे में बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी।

3. सर्वप्रथम याचिका में उल्लिखित प्रासंगिक तथ्य। उनसे पता चलता है कि दिनांक 08.01.2000 के आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर एक वर्ष के लिए अनंतिम रूप से नियुक्त किया गया था, जिसका वेतनमान 750-12-870-14-940 रुपये (चतुर्थ वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार) था। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.01.2000 को कार्य प्रारंभ किया। हालांकि, याचिकाकर्ता की नियुक्ति की पुष्टि आयुर्वेद विभाग, अजमेर से अनुमोदन पर निर्भर थी।

3.1. दिनांक 31.07.2001 के पत्र के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति की पुष्टि की। तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 30.09.2003 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता की सेवा को 01.04.2003 से स्थायी कर दिया।

3.2. प्रतिवादी संख्या 4/संस्था को राजस्थान सरकार से 80% अनुदान प्राप्त होता है। याचिकाकर्ता सहित इसके सभी कर्मचारी इस अनुदान से अपना वेतन प्राप्त करते हैं। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतनमान और भत्ते के अनुरूप वेतनमान और भत्ते का हकदार है।

3.3. याचिकाकर्ता की नियुक्ति के समय, उसका वेतन पांचवें वेतन आयोग के संगत वेतनमान के आधार पर तय किया जाना था और उस समय संशोधित वेतनमान नियम 1998 प्रभावी थे। फिर भी, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के तहत अन्य कर्मचारियों को पुराने वेतनमान यानी 750-940 रुपये के आधार पर वेतन मिलता रहा।

3.4. इस आधार पर, याचिकाकर्ता अन्य कर्मचारियों के साथ इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के लिए बाध्य हुआ, जिसका शीर्षक था एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 470/2003: राज सिंह मलिक एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना की गई कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को 01.09.1996 से पांचवें वेतन आयोग अर्थात 1998 के संशोधित वेतनमान का लाभ सभी परिणामी लाभों सहित देने के लिए आवश्यक मंजूरी जारी करने का निर्देश दिया जाए।

3.5. उक्त रिट याचिका का दिनांक 12.07.2005 के आदेश द्वारा निपटारा किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2-सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-IV) आयुर्वेद, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर को कानून के अनुसार उस पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

3.6. उक्त नए अभ्यावेदन पर दिनांक 19.12.2005 का आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा 01.01.2006 से 1998 के नियमों का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्देश दिया गया कि 01.01.2006 से पूर्व की अवधि के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय अनुदान उपलब्ध नहीं था और इस प्रकार उक्त पूर्व अवधि के लिए लाभ रोक दिए गए। प्रासंगिक रूप से, दिनांक 19.12.2005 के आदेश पारित करते समय पंचम वेतन आयोग के लाभ की पात्रता को अन्यथा विवादित या अस्वीकृत नहीं किया गया था।

3.7. 19.12.2005 के आदेश से व्यथित होकर, जिसने 01.01.2006 से पांचवे वेतन आयोग के लाभों को याचिकाकर्ता को प्रदान किया था, याचिकाकर्ता और उसके अन्य प्रतिपक्षों ने इस न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की, जिसका एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 3314/2006 है। याचिका में अन्य बातों के अलावा, 19.12.2005 के आदेश को अवैध और अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। इस आदेश को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की गई थी, क्योंकि इसने याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतन नियम, 1998 के अनुसार उनके पारिश्रमिक को निर्धारित करने के अधिकार से वंचित कर दिया था, जिस दिन से नियम लागू हुए थे, 31.12.2005 तक।

3.8. 14.10.2008 को इस न्यायालय के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका स्वीकार की गई तथा 19.12.2005 के कार्यालय आदेश को संशोधित किया गया। यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को 1998 के नियमों के तहत निर्धारित सभी लाभ उनकी प्रयोज्यता की तिथि से प्रदान किए जाएं।

3.9. प्रतिवादी संख्या 4 ने इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता के वेतनमान को 01.01.2006 से प्रभावी रूप से 2550-3500 रुपये में पुनः समायोजित किया। याचिकाकर्ता को 12.01.2009 से 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रथम चयन ग्रेड का लाभ भी प्रदान किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता का वेतन अगले उच्चतर वेतनमान अर्थात 2610-3540 रुपये में निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 12.01.2000 से 01.09.1996 से प्रभावी 1998 के नियमों के लाभों का हकदार है। वह 12.01.2000

से 31.12.2005 तक के वेतन अंतर के बकाया का भी हकदार है। इस प्रकार उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल विविध अवमानना याचिका संख्या 228/2009 दायर की।

3.10. अवमानना याचिका के जवाब में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि 34 रिट याचिकाकर्ताओं से वचन पत्र प्राप्त करने के बाद उन्हें लाभ जारी कर दिया गया। हालांकि, वर्तमान याचिकाकर्ता सहित तीन रिट याचिकाकर्ताओं के लिए प्रतिवादी संस्था द्वारा कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया। इसलिए, 1998 के नियमों के अनुसार लाभ जारी करना संभव नहीं था।

3.11. इस प्रकार, उक्त अवमानना याचिका को दिनांक 13.07.2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, तथा उसे पुनः रिट याचिका दायर करने की छूट दी गई। अतः तत्काल कार्यवाही।

4. प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 ने रिट याचिका पर पृथक से प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। उनका दावा है कि प्रतिवादी संस्था को राजस्थान आयुर्वेद अनुदान सहायता (राहत) नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुदान सहायता प्राप्त हुई है। उनका यह भी दावा है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियम, 1972 द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं की गई। परिणामस्वरूप, विभाग ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति की पुष्टि नहीं की।

4.1. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अस्थायी थी, केवल एक वर्ष के लिए, तथा इसे स्थायी बनाने के लिए आयुर्वेद विभाग से पुष्टि की आवश्यकता थी। तथापि, विभाग ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति की कभी पुष्टि नहीं की।

4.2. 1972 के नियमों के अनुसार, सभी आयुर्वेद संस्थानों को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक 1972 के नियमों के भाग II के नियम 1 के तहत सहायता प्राप्त पदों के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इस आवेदन के बाद ही अनुदान सहायता के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है, और राज्य सरकार बाद में वार्षिक आधार पर ऐसे पात्र संस्थानों को सहायता प्रदान करती है। सरकार ने याचिकाकर्ता के वेतन के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की।

4.3. जबकि, प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जवाब में कहा है कि संस्थान को 1972 के नियमों के अनुसार अनुदान सहायता प्राप्त हुई थी। इस प्रकार याचिकाकर्ता इन नियमों के तहत अपने वेतन का हकदार है। पक्ष यह है कि प्रतिवादी राज्य द्वारा 19 दिसंबर, 2005 का आदेश जारी किया गया था, जो 1 जनवरी, 2006 से शुरू हुआ

था और वेतन आयोग के अनुसार लागू वेतनमान के साथ 1998 के नियम लागू थे।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है। अब मैं अगले भाग में कारणों को दर्ज करके अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

6. सबसे पहले, आइए 1998 के प्रासंगिक नियमों को देखें, जिन्हें त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "5. **परिभाषा:**- इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो;
>
> (1) "**विद्यमान वेतनमान**" से तात्पर्य ऐसे वेतनमान से है जो किसी सरकारी कर्मचारी को, इन नियमों के प्रभावी होने के पश्चात, 1 सितम्बर, 1996 से ठीक पहले मूल रूप से या कार्यवाहक क्षमता में धारित किसी पद के संबंध में लागू है, जबकि उसने स्थायी पद या अस्थायी हैसियत में ग्रहणाधिकार बरकरार रखा है।
>
> 6. **पदों के वेतनमान:-**
>
> (i) इन नियमों के प्रारम्भ से, राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1989 में वर्णित प्रत्येक पद/सेवा/संवर्ग के लिए संशोधित वेतनमान, समय-समय पर संशोधित, अनुसूची । के खण्ड 'क' के स्तम्भ 4 में यथा विनिर्दिष्ट इस अनुसूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए विद्यमान वेतनमान के अनुसार होगा, सिवाय अनुसूची । के खण्ड 'ख' के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट रूप से दर्शाए गए पद के संशोधित वेतनमान के।
>
> (ii) वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.20(1)एफडी(ग्रेड 2)/92 दिनांक 25-1-1992 के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित वेतनमान के अंतर्गत चयन ग्रेड में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान तथा वैयक्तिक वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए उन नियमों में संलग्न अनुसूची-। के खंड 'ए' के कॉलम 2 में विद्यमान वेतनमान के समक्ष कॉलम 4 में दर्शाए गए अनुरूप वेतनमान होंगे।

(iii) 1.9.1996 के बाद संशोधित प्रत्येक पद/सेवा/संवर्ग का वेतनमान अनुसूची V के कॉलम 4 में निर्दिष्ट अनुसार होगा।

7. संशोधित वेतनमान में वेतन आहरण:-

(i) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, कोई सरकारी कर्मचारी उस पद पर लागू संशोधित वेतनमान में वेतन आहरित करेगा जो 1-9-1996 को वह धारण कर रहा है या जिस पर वह 1-9-1996 को या उसके बाद नियुक्त हुआ है।

(ii) किसी सेवा/संवर्ग या पदों के वर्ग के संबंध में, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतर्गत भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कोई नियम नहीं बनाए गए हैं या जहां कोई पद/पदों को भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों से जुड़ी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, वित्त विभाग द्वारा या उसकी सहमति से समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव प्रभावी बने रहेंगे और उन्हें 1-9-1996 से संशोधित वेतनमान में ऐसी सेवा/संवर्ग या पदों के वर्ग पर लागू माना जाएगा।

11. प्रारंभिक वेतन का निर्धारण:-

(1) किसी सरकारी कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन, जो 1-9-1996 से संशोधित वेतनमान में वेतन लेने के लिए नियम 10(3) के अधीन चयन करता है या चयन किया माना जाता है, उस स्थायी पद के संबंध में अलग से निर्धारित किया जाएगा, जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है या जिस पर उसका ग्रहणाधिकार होता यदि इसे निलंबित नहीं किया गया होता और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद के संबंध में निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्:-

(क)(i) वेतन संशोधित वेतनमान में पूर्व-निर्धारण परिलब्धियों से अगले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।

(ii) यदि पूर्व-निर्धारण परिलब्धियां संशोधित वेतनमान के न्यूनतम से कम हैं, तो वेतन न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि -

इस प्रकार किया गया निर्धारण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कर्मचारी को विद्यमान वेतनमान में प्रत्येक तीन वेतन वृद्धि (स्थिर वेतन वृद्धि सहित, यदि कोई हो) के लिए संशोधित वेतनमान में कम से कम एक वेतन वृद्धि मिलेगी।

(iii) यदि पूर्व-निर्धारण परिलब्धियां पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम से अधिक हैं, तो वेतन पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम पर निर्धारित किया जाएगा तथा पूर्व-निर्धारण परिलब्धियों और पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम के बीच के अंतर को वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, जिसे भविष्य में वेतन वृद्धि में समाहित किया जाएगा।

(iv) जहां विद्यमान वेतनमान में वेतन वृद्धि की सामान्य तिथि 1-9-1996 है, वहां पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन वृद्धि सहित 1-9-1996 को विद्यमान वेतनमान में स्वीकार्य वेतन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(v) ऐसे मामलों में जहां राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 या 26ए के अंतर्गत 1-9-1996 को ही वेतन निर्धारित किया जाना अपेक्षित है, वहां वेतन सर्वप्रथम 1-9-1996 से तुरन्त पूर्व धारित पद के संशोधित वेतनमान में 1-9-1996 को तथा तत्पश्चात् नियम 26 और 26ए के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, निर्धारित किया जाएगा।

(ख) संशोधित वेतनमान में वेतन का निर्धारण उपनियम (1) के खंड (क) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जैसा कि इन नियमों की अनुसूची III के रूप में संलग्न निर्धारण तालिकाओं में दर्शाया गया है। ये निर्धारण तालिकाएं संशोधित वेतनमान में वेतन के प्रारंभिक निर्धारण को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए लागू नहीं होंगी।

(2) 1-9-1996 को या उसके बाद किसी पद/सेवा पर नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी को इन नियमों के अंतर्गत उसके पद पर लागू संशोधित वेतनमान में वेतन दिया जाएगा। ऐसे मामलों में अनुसूची III में निर्धारित निर्धारण तालिकाएं लागू नहीं होंगी।"

7. नियम 6 के अनुसार, प्रश्नगत पद पर संशोधित वेतनमान, जिस पर याचिकाकर्ता की भर्ती 01.08.2000 को हुई थी, अनुसूची-I, खंड ए, नियम 6 के अनुसार 2550-55-2660-60-3200 था। हालांकि, याचिकाकर्ता को संशोधित वेतनमान दिए जाने के बजाय पूर्व संशोधित वेतनमान के वेतन ब्रैकेट में डाल दिया गया, अर्थात 750-12-798-13-850-15-940।

8. इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता एक नियमित नियुक्त व्यक्ति है और इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.10.2008 के आदेश के अनुपालन में उसे 01.01.2006 से पांचवे वेतन आयोग के अनुसार नियमित वेतनमान प्रदान किया गया था। इसके अलावा, उसे 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयन ग्रेड भी प्रदान किया गया था। ऐसा होने के कारण, केवल इस आधार पर यह समझ से परे है कि विभाग ने 1998 के नियमों के साथ पांचवे वेतन आयोग का लाभ प्रदान करके एक बार उसके दावे को स्वीकार कर लिया था और अब बिना किसी उचित कारण के उसी मूल सिद्धांत के आधार पर याचिकाकर्ता को आगे कोई लाभ न देने में उलटफेर कर दिया है, जो पहले लागू था।

9. विभाग द्वारा दिया गया बहाना यह है कि प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात रजिस्ट्रार, आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर, जिला चूरू को याचिकाकर्ता के संबंध में स्वीकृति प्राधिकारी से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों द्वारा लिया गया ऐसा बेस्वाद रुख केवल खारिज करने के लिए ही देखा जा रहा है। केवल लालफीताशाही के कारण याचिकाकर्ता, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, को लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता। जबकि अन्य व्यक्ति, जो पदानुक्रम में उच्च हैं, को समान लाभ दिए गए हैं। बल्कि प्रतिवादी संख्या 4 का यह उत्तरदायित्व है कि वह सभी कर्मचारियों, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में अपने संस्थान के लिए अनुदान प्राप्त करने का परिश्रमपूर्वक प्रयास करे। इस आधार पर लाभ देने से मना करना कानूनी रूप से उचित नहीं है और इसे केवल खारिज करने के लिए देखा जा रहा है।

10. मामले का एक और पहलू है, अर्थात शत्रुतापूर्ण भेदभाव, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि उसके साथ समान व्यवहार किया जाए। जबकि, यह स्वीकार किया गया है कि समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को 1998 के नियमों के तहत संशोधित वेतनमान का लाभ उनके लागू होने की तिथि से दिया गया है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को समान लाभ क्यों न दिया जाए।

11. चर्चा के परिणामस्वरूप, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। प्रतिवादियों को 12.01.2000 से 31.12.2005 तक संशोधित वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया जाता है। उन्हें आगे वेतन के बकाया की गणना करने और लागू सेवा नियमों के अनुसार स्वीकार्य ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।